



अनुसंधान प्रश्न

“आवारा कुत्तों को खिलाने, हाउसिंग सोसाइटी में पालतू जानवर रखने और कुत्ते के काटने की जिम्मेदारी पर भारतीय कानून क्या कहता है, जिसमें पशु जन्म नियंत्रण नियम, सामुदायिक कुत्तों पर अदालती निर्देश और सोसाइटी की पाबंदियों के खिलाफ पालतू मालिकों के अधिकार शामिल हों?”

आवारा कुत्तों को खिलाने, हाउसिंग सोसायटी में पालतू जानवरों पर प्रतिबंध और कुत्ते के काटने की विधिक जिम्मेदारी: भारतीय कानून एवं न्यायिक सिद्धांतों का विश्लेषण

सारांश

भारतीय कानून के तहत नागरिकों को पशुओं के प्रति करुणा रखने और पालतू जानवर पालने का अधिकार प्राप्त है, जिसे केरल उच्च न्यायालय ने *N. Prakash v. State of Kerala* (2020) में जीवन और निजता के अधिकार (अनुच्छेद 21) के अभिन्न हिस्से के रूप में मान्यता दी है। आवारा कुत्तों के नियंत्रण के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत केवल नसबंदी और टीकाकरण की अनुमति है, न कि उन्हें बेरहमी से मारने की। वहीं, पालतू कुत्ते द्वारा किसी को काटने पर मालिकों पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के तहत लापरवाही का आपराधिक दायित्व बनता है, जबकि आवारा कुत्तों के काटने के मामलों में नगर निकायों की विफलता पाए जाने पर पीड़ित परिवारों को मुआवजा प्रदान किया जाता है।

सत्यापित मुकदमे	संविधियाँ	नवीनतम निर्णय
17	2	2025
17 उच्च न्यायालय		Calcutta High Court

विषय - सूची

I. विस्तृत विश्लेषण	2
II. सांविधिक प्रावधान	5
III. चर्चित मुकदमे	6
IV. मुकदमे का विवरण	8

Vitark AI द्वारा तैयार • अत्यंत गोपनीय • उपयोग से पहले उद्घरण सत्यापित करें

I. विस्तृत विश्लेषण

मुख्य सिद्धांत

01 पालतू जानवर रखने का नागरिक अधिकार और निजता

नागरिकों द्वारा अपनी इच्छा से पालतू जानवरों को रखना और उनकी देखभाल करना उनके व्यक्तिगत जीवन और निजता के अधिकार का विस्तार है। *Md. Balesharief v. State of Andhra Pradesh* (2014) में स्पष्ट किया गया कि पर्यावरण और पशु जीवन के साथ मानवीय सह-अस्तित्व अनुच्छेद 21 के विस्तारित अर्थ के तहत सुरक्षित है, जहां पशुओं की भलाई और सुरक्षा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है।

02 आवारा कुत्तों का प्रबंधन और नसबंदी (ABC नियम)

स्थानीय नगर पालिकाओं का यह अनिवार्य दायित्व है कि वे आवारा कुत्तों को निर्ममता से मारने के बजाय पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों के तहत वैज्ञानिक रूप से नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम चलाएं। केरल उच्च न्यायालय ने *M.R. Ajayan v. State of Kerala* (2015) में यह व्यवस्था दी है कि यद्यपि मानव जीवन सर्वोपरि है, फिर भी आवारा कुत्तों के खतरे के नियंत्रण के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

03 पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक का आपराधिक दायित्व

यदि कोई पालतू मालिक अपने जानवर को बिना जंजीर (unchained) के खुला छोड़ देता है, जिससे किसी नागरिक को चोट या संभावित खतरा पैदा होता है, तो वह भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के तहत लापरवाही का दोषी होगा। *Suman Ray v. State of West Bengal* (2025) में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने माना कि पशु स्वामियों पर संभावित खतरों से मानव जीवन की रक्षा करने का स्पष्ट और कड़ा कानूनी दायित्व है।

04 आवारा कुत्तों के हमले पर नगर निकायों का दायित्व

आवारा जानवरों के खतरे को नियंत्रित करना और सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित रखना राज्य और नगरपालिकाओं का अनिवार्य संवैधानिक कर्तव्य है। *Lukesh Kumar Razak v. State of Chhattisgarh* (2020) में अदालत ने माना कि आवारा कुत्ते के काटने से होने वाली मृत्यु के मामलों में अनुच्छेद 21 के तहत लोक कानून क्षेत्राधिकार में मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।

05 पशुओं की पांच बुनियादी स्वतंत्रताएं (Five Freedoms)

अंतर्राष्ट्रीय पशु कल्याण मानकों के अनुसार पशुओं को भूख, प्यास, असुविधा, दर्द और रोग से मुक्त रहने का अधिकार है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने *Prem Singh v. State of Rajasthan* (2019) में रेखांकित किया कि पशुओं की इन स्वतंत्रताओं को पीसीए अधिनियम की धाराओं 3 और 11 के तहत वैधानिक संरक्षण प्राप्त है, जिन्हें मौलिक अधिकारों के समकक्ष समझा जाना चाहिए।

06 पशु अधिकारों के प्रति राज्य की सामूहिक जिम्मेदारी

जीवों के प्रति करुणा का मौलिक कर्तव्य केवल आम नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से राज्य सरकार पर भी लागू होता है। *Mahisagar Mataji Samaj Seva Trust v. State of Gujarat* (2012) में गुजरात उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि राज्य भी पशुओं के संरक्षण और उचित देखभाल के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी है।

न्यायालयों ने इसे कैसे लागू किया

सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण

आवारा कुत्तों से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व में क्षति-अन्वेषण और मुआवजे के दावों के मूल्यांकन के लिए विशेष समितियां गठित की हैं, जैसा कि *Dhanraj Sahu v. State of Chhattisgarh* (2020) और *Jamuna Bai v. State of Chhattisgarh* (2020) में संदर्भित है, जहां नगर निकायों की अनिवार्य जिम्मेदारियों को रेखांकित किया गया।

उच्च न्यायालय की भिन्नताएँ

सिक्किम उच्च न्यायालय ने *In Re: Menace of Stray Dogs in Gangtok* (2019) में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित आवारा कुत्तों की समस्या से जुड़े प्रमुख मामलों का संज्ञान लेते हुए स्थानीय अधिकारियों को नियमों के सख्त अनुपालन का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने *Ramesh Sharma v. State of Himachal Pradesh* (2014) और त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने *Subhas Bhattacharjee v. State of Tripura* (2019) में मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर दी जाने वाली पशु बलि को अमानवीय क्रूरता मानते हुए प्रतिबंधित किया। मुंबई में घोड़ा गाड़ियों के उपयोग के संदर्भ में, *Animals and Birds Charitable Trust v. Municipal Corporation of Greater Mumbai* (2015) ने पशुओं को अनावश्यक दर्द और पीड़ा से बचाने के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को रेखांकित किया। इसी प्रकार, *Court on its own motion v. Deputy Commissioner, Shimla* (2018) ने प्रतिकूल मौसम में जानवरों को बेसहारा छोड़ने को क्रूरता माना, जबकि *SP. Chockalingam v. Principal Chief Conservator of Forests* (2022) में मद्रास उच्च न्यायालय ने पारिस्थितिक संतुलन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए रात के समय वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंधों को वैध माना। पशु क्रूरता के आरोपी को अस्थायी राहत न देने के सिद्धांत पर *Compassion Unlimited Plus Action v. State of Karnataka* (2021) में कड़ा रुख अपनाया गया।

हाल का विकास

हाल के न्यायिक फैसलों में मुआवजे की प्रक्रिया को व्यावहारिक बनाया गया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने *State of Chhattisgarh v. Bhaiya Lal Gond* (2023) में व्यवस्था दी कि आवारा कुत्ते के काटने से हुई मौतों के लिए बिना किसी विस्तृत तथ्य-अन्वेषण (fact-finding inquiry) और आय के नुकसान के वास्तविक आकलन के एकमुश्त 'कंबल मुआवजा' (blanket compensation) नहीं दिया जा सकता।

अनिर्णीत क्षेत्र या चेतावनियाँ

मुआवजे के लिए कठोर विधिक प्रक्रिया

यद्यपि राज्य का दायित्व स्थापित है, परंतु *State of Chhattisgarh v. Bhaiya Lal Gond* (2023) के निर्णय से स्पष्ट है कि दावों के निपटारे के लिए प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों, लापरवाही के स्तर और आर्थिक नुकसान का कानूनी रूप से निर्धारण होना अनिवार्य है, जिससे त्वरित एकमुश्त राहत के दावों में विधिक जटिलता आ जाती है।

II. सांविधिक प्रावधान 2 प्रावधान

SECTION 11, PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960 — TREATING ANIMALS CRUELLY

यह प्रावधान पशुओं के प्रति क्रूरता के विभिन्न कृत्यों को परिभाषित करता है, जैसे उन्हें मारना-पीटना, अत्यधिक बोझ लादना, भोजन, पानी या आश्रय न देना, और उन्हें असहाय छोड़ देना, तथा इन्हें दंडनीय अपराध घोषित करता है।

"11. Treating animals cruelly.—(1) If any person— (a) beats, kicks, over-rides, over-drives, over-loads, tortures or otherwise treats any animal so as to subject it to unnecessary pain or suffering or causes or, being the owner permits, any animal to be so treated; or ... (h) being the owner of any animal fails to provide such animal with sufficient food, drink or shelter; or (i) without reasonable cause, abandons any animal in circumstances which render it likely that it will suffer pain by reason of starvation or thirst; or" उद्धृत: Mahisagar Mataji Samaj Seva Trust v. State of Gujarat, Ramesh Sharma v. State of Himachal Pradesh

SECTION 2, PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960 — DEFINITIONS

यह धारा अधिनियम में प्रयुक्त प्रमुख कानूनी शब्दों को परिभाषित करती है, जिसमें 'पशु', 'पालतू पशु' (domestic animal) और 'स्वामी' (owner) की विस्तृत परिभाषाएं शामिल हैं।

"2. Definitions: In this Act, unless the context otherwise requires,— (a) \"animal\" means any living creature other than a human being; ... (d) \"domestic animal\" means any animal which is tamed or which has been or is being sufficiently tamed to serve some purpose for the use of man or which, although it neither has been nor is intended to be so tamed, is or has become in fact wholly or partly tamed; ... (f) \"owner\", used with reference to an animal, includes not only the owner but also any other person for the time being in possession or custody of the animal, whether with or without the consent of the owner." उद्धृत: Mahisagar Mataji Samaj Seva Trust v. State of Gujarat, Ramesh Sharma v. State of Himachal Pradesh

III. चर्चित मुकदमे

17 मुकदमे • सारणी

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
01	<i>Animals and Birds Charitable Trust v. Municipal Corporation of Greater Mumbai</i> HCBM020174492011	BOMBAY HIGH COURT	2015	पशुओं के प्रति करुणा और कल्याण सुनिश्चित करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है।
02	<i>In Re: Menace of Stray Dogs in Gangtok</i> SKHC010001612017	HIGH COURT OF SIKKIM	2019	स्थानीय निकायों को बिना क्रूरता के आवारा कुत्तों के नियंत्रण के निर्देश।
03	<i>Dhanraj Sahu v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010197962019	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2020	आवारा पशुओं के खतरे को नियंत्रित न करने पर राज्य का मुआवजा दायित्व।
04	<i>Lukesh Kumar Razak v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010162732019	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2020	कुत्ते के काटने से मृत्यु पर अनुच्छेद 21 के तहत मुआवजा देय है।
05	<i>Mahisagar Mataji Samaj Seva Trust v. State of Gujarat</i> GJHC240237622011	HIGH COURT OF GUJARAT	2012	जीवों के प्रति करुणा का संवैधानिक कर्तव्य राज्य पर भी लागू होता है।
06	<i>Jamuna Bai v. State of Chhattisgarh</i> CGHC010140642019	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2020	आवारा कुत्ते के काटने से मृत्यु पर प्रशासन की विफलता हेतु मुआवजा।
07	<i>Ramesh Sharma v. State of Himachal Pradesh</i> HPHC010087402012	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2014	मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर पशु बलि को क्रूरता मानकर प्रतिबंधित किया।
08	<i>Suman Ray v. State of West Bengal</i> WBCHCA0539532022	CALCUTTA HIGH COURT	2025	पालतू कुत्ते को खुला छोड़ने और काटने पर मालिक का धारा 289 IPC दायित्व।
09	<i>N. Prakash v. State of Kerala</i> KLHC010240092020	HIGH COURT OF KERALA	2020	निजता और गरिमा के तहत पालतू जानवर पालने का नागरिकों का मौलिक अधिकार।
10	<i>Prem Singh v. State of Rajasthan</i> RJHC020225362007	HIGH COURT OF RAJASTHAN	2019	पशु कल्याण के पांच सिद्धांतों को भाग III के समकक्ष दर्जा प्राप्त है।
11	<i>Md. Balesharief v. State of Andhra Pradesh</i> HBHC010772462014	HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA	2014	पशु कल्याण और गरिमापूर्ण जीवन को अनुच्छेद 21 के तहत विस्तारित किया गया।
12	<i>M.R. Ajayan v. State of Kerala</i> KLHC010710932011	HIGH COURT OF KERALA	2015	आवारा कुत्तों के नियंत्रण हेतु मारने के बजाय नसबंदी (ABC Rules) अनिवार्य है।
13	<i>SP. Chockalingam v. Principal Chief Conservator of Forests</i> HCMA010143732022	MADRAS HIGH COURT	2022	पारिस्थितिक संतुलन और वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु यातायात पर प्रतिबंध वैध है।
14	<i>Compassion Unlimited Plus Action v. State of Karnataka</i> KAHC010305932020	HIGH COURT OF KARNATAKA	2021	क्रूरता के आरोपी व्यक्ति को जब्त पशुओं की अंतरिम कस्टडी नहीं दी जाएगी।
15	<i>Subhas Bhattacharjee v. State of Tripura</i> TRHC010006102018	HIGH COURT OF TRIPURA	2019	पशुओं को भी अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और संरक्षण का अधिकार है।

#	मुकदमा	न्यायालय	वर्ष	मुख्य निर्णय
16	<i>Court on its own motion v. Deputy Commissioner, Shimla</i> HPHC010195472017	HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH	2018	प्रतिकूल मौसम में पशुओं को खुला और लावारिस छोड़ना क्रूरता है।
17	<i>State of Chhattisgarh v. Bhaiya Lal Gond</i> CGHC010230662020	HIGH COURT OF CHHATTISGARH	2023	कुत्ते के काटने पर मुआवजे का निर्धारण तथ्य-अन्वेषण जांच के बाद होगा।

IV. मुकदमे का विवरण 17 केस फ़ाइलें

01 Animals and Birds Charitable Trust v. Municipal Corporation of Greater Mumbai

BOMBAY HIGH COURT • 2015-06-08 • PIL/36/2011

यह जनहित याचिका (PIL) मुंबई शहर में विक्टोरिया और घोड़ा गाड़ियों के उपयोग के दौरान घोड़ों और टट्टुओं के साथ होने वाली क्रूरता और उनके रहने की खराब स्थितियों को उजागर करती है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि ये जानवर अस्वच्छ तबेलों में रखे जाते हैं और इनका उपयोग केवल मनोरंजन (joyrides) के लिए किया जाता है, जो पशु कल्याण कानूनों और मुंबई नगर निगम अधिनियम, 1888 तथा बॉम्बे पब्लिक कन्वेंस एक्ट, 1920 के प्रावधानों का उल्लंघन है। अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए लाइसेंसिंग, अस्तबल की स्थिति और जानवरों के स्वास्थ्य से संबंधित नियामक अनुपालन की जांच की। न्यायालय ने पशु कल्याण और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त दिशा-निर्देशों का पालन करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A(g) और (h) के तहत नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा रखें। पशुओं को गरिमा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, जिसमें क्रूरता, अवांछित दर्द और पीड़ा से सुरक्षा शामिल है।

“Article 51-A(g) states that it shall be the duty of citizens to have compassion for living creatures. In State of Gujarat v. Mirzapur Moti Kureshi Kassab Jamat [(2005) 8 SCC 534] , this Court held that by enacting Article 51-A(g) and giving it the status of a fundamental duty, one of the objects sought to be achieved by Parliament is to ensure that the spirit and message of Articles 48 and 48-A are honoured as a fundamental duty of every citizen. Article 51- A(g), therefore, enjoins that it was a fundamental duty of every citizen “to have compassion for living creatures”...”

BOMBAY HIGH COURT • 2015

स्रोत HCBM020174492011

02 In Re: Menace of Stray Dogs in Gangtok

HIGH COURT OF SIKKIM • 2019-10-24 • WP(PIL)/7/2017

यह जनहित याचिका गंगटोक शहर में आवारा कुत्तों (stray dogs) की समस्या के संबंध में दायर की गई थी, जिसमें नगर निगम अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने आवारा कुत्तों के आतंक के कारण एक व्यक्ति के घायल होने का हवाला दिया था।

निर्णय सिक्किम उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के नियंत्रण और उन्मूलन से संबंधित विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का संदर्भ दिया और राज्य सरकारों को पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत कदम उठाने के निर्देश दिए।

“...Hon’ble Supreme Court was considering various issues relating to steps taken for destruction/ removal of stray dogs. In the order dated 18.11.2015, Hon’ble Supreme Court had directed as follows:-
“19. A copy of the order passed today be sent to the Chief Secretary of each of the States and the competent authority of Union Territories, so that they can follow the same in letter and spirit.”

HIGH COURT OF SIKKIM • 2019

स्रोत SKHC010001612017

03 Dhanraj Sahu v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020-08-26 • WPC/2021/2019

यह मामला याचिकाकर्ता के दो वर्षीय बच्चे की आवारा कुत्ते के काटने से हुई मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग से संबंधित है। जिला प्रशासन ने यह कहते हुए मुआवजे का दावा खारिज कर दिया था कि राज्य के Revenue Book Circular में ऐसी घटना के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। याचिकाकर्ता ने इसे जनहित और राज्य के कर्तव्यों में विफलता का मुद्दा बताते हुए चुनौती दी।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों के खतरे को नियंत्रित करना स्थानीय प्रशासन का अनिवार्य कर्तव्य है। विफलता के कारण हुई जनहानि के लिए प्रशासन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और उसे मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा।

“In Sanjay Phophaliya v State of Rajasthan and Ors. relying on L.K. Koolwal v State of Rajasthan and Ors. it was observed thus : "It is primary, mandatory and obligatory duty (sic duty) of Municipality to keep city clean and to remove insanitation, nuisance etc. The Municipality cannot take plea whether funds or staff is available or not.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020

स्रोत CGHC010197962019

04 Lukesh Kumar Razak v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020-09-17 • WPC/1713/2019

यह मामला याचिकाकर्ता के पिता की आवारा कुत्ते के काटने से हुई मृत्यु के लिए राज्य से मुआवजे की मांग के बारे में है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि आवारा कुत्तों का खतरा एक सार्वजनिक उपद्रव है जिसे नियंत्रित करने में जिला प्रशासन विफल रहा है। राज्य ने दावा किया कि 'Revenue Book Circular' (RBC) के तहत इस प्रकार की घटना के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। न्यायालय ने पूर्ववर्ती न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए माना कि राज्य का कर्तव्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है और आवारा पशुओं के खतरे को रोकने में विफलता राज्य की लापरवाही है। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को मुआवजा देने का निर्देश दिया, यह स्वीकार करते हुए कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होने पर सार्वजनिक कानून क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुआवजा एक प्रभावी उपाय है।

निर्णय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माना कि आवारा कुत्तों से जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य और स्थानीय प्राधिकारियों की वैधानिक जिम्मेदारी है। यदि प्रशासनिक लापरवाही से कुत्ते के काटने से मौत होती है, तो अनुच्छेद 21 के तहत लोक कानून क्षेत्राधिकार में मुआवजा प्रदान किया जाना चाहिए।

“The duty becomes more onerous on the respondents with regard to the dogs and such animals. The staff cannot say that its duty is complete if action is taken only on complaints... If still any accident happens, then the injured person or relative of the deceased person would be competent to invoke the provisions of Section 188 of IPC against such a negligent staff.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020

स्रोत CGHC010162732019

05 Mahisagar Mataji Samaj Seva Trust v. State of Gujarat

HIGH COURT OF GUJARAT • 2012-03-12 • WPPIL/173/2011

यह मामला Cattle Trespass Act, 1871 के तहत पशुओं को जब्त किए जाने और उनकी रिहाई से संबंधित है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि पशु मालिकों (Maldharis) से जुर्माना वसूलने के बावजूद, प्राधिकारी त्योहारों या अन्य कारणों का हवाला देकर पशुओं को रिहा करने में अनुचित देरी कर रहे

थे। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि Cattle Trespass Act की धारा 13 के अनुसार, यदि मालिक निर्धारित जुर्माना और शुल्क का भुगतान करता है, तो पशुओं को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। न्यायालय ने प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कानून के प्रावधानों का पालन करें और बिना किसी वैध कारण के पशुओं को हिरासत में न रखें। यदि कोई व्यक्ति अवैध जब्ती का दावा करता है, तो वह धारा 20 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत कर सकता है।

निर्णय न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 51A(g) के तहत जीवित प्राणियों के प्रति करुणा दिखाने का मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि सामूहिक रूप से यह राज्य सरकार और प्राधिकारियों का भी कर्तव्य है।

“...though Article 51A does not expressly cast any fundamental duty on the State, the fact remains that the duty of every citizen of India is, collectively speaking, the duty of the State.” Now as per the ruling, fundamental duty under Article 51A(g) to have compassion towards living creatures is extended to State Government and Government authority. State is equally responsible for due care and protection of animals.”

HIGH COURT OF GUJARAT • 2012

स्रोत GJHC240237622011

06 Jamuna Bai v. State of Chhattisgarh

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020-09-17 • WPC/1514/2019

यह मामला एक महिला द्वारा अपने पति की आवारा कुत्ते के काटने से हुई मौत के लिए मुआवजे की मांग से संबंधित है। जिला प्रशासन ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया था कि Revenue Book Circular में ऐसी किसी स्थिति के लिए मुआवजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। उच्च न्यायालय ने माना कि सार्वजनिक जीवन की सुरक्षा राज्य का प्राथमिक दायित्व है और आवारा कुत्तों के खतरे को नियंत्रित करने में विफलता प्रशासन की लापरवाही को दर्शाती है। न्यायालय ने विभिन्न पूर्व न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि Article 21 के तहत जीवन के अधिकार का उल्लंघन होने पर मुआवजे का आदेश देना राज्य का संवैधानिक कर्तव्य है। तदनुसार, न्यायालय ने राज्य को पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया।

निर्णय न्यायालय ने दोहराया कि नगर निकायों का यह प्राथमिक दायित्व है कि वे सड़कों को आवारा पशुओं से मुक्त रखें। कुत्ते के काटने से होने वाली मृत्यु के मामलों में पीड़ित परिवार को लोक कर्तव्य की अवहेलना के लिए मुआवजा पाने का संवैधानिक अधिकार है।

“The Supreme Court referred to the provisions of the Prevention of Cruelty to Animals, Act, 1960 (for short ‘the PCA Act’) and Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 (for short ‘the Rules, 2001’)... The Supreme Court observed that on the basis of the report of the committee, subject to adjudication of the responsibility of the State, it would be in a position to think of granting of compensation.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2020

स्रोत CGHC010140642019

07 Ramesh Sharma v. State of Himachal Pradesh

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2014-09-26 • CWP/5076/2012

यह मामला हिमाचल प्रदेश के विभिन्न मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर जानवरों की बलि देने की प्रथा को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह प्रथा अत्यधिक क्रूर है, जो संविधान के Article 51-A (h) के तहत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के कर्तव्य का उल्लंघन करती है और सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा को बढ़ावा देती है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह प्रथा सदियों पुरानी है और तंत्र साधना का एक आवश्यक हिस्सा है, जिसे संविधान के Article 28 के तहत संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस प्रथा को मानवीय मूल्यों के विपरीत माना और सार्वजनिक स्थानों तथा मंदिरों के परिसर में जानवरों की बलि पर रोक लगाने के निर्देश दिए।

निर्णय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना कि धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर सार्वजनिक स्थानों या मंदिरों में पशु बलि देना क्रूरता है। न्यायालय ने पर्यावरण और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के प्रकाश में इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया।

“Section 11 and Section 28 of this Act are to be interpreted as per Articles 48, 48 - A, 51 - A(g), 51 - A(h) and 51 - A(i).”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2014

स्रोत HPHC010087402012

08 Suman Ray v. State of West Bengal

CALCUTTA HIGH COURT • 2025-05-23 • CRR/4428/2022

यह मामला Section 482 Cr.P.C. के तहत आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की याचिका से संबंधित है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता के पालतू कुत्तों के हमलों के कारण वह गिर गया और उसे चोटें आईं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि आरोप झूठे हैं, चोटों का कोई प्रमाण नहीं है, और जांच में कई कमियां थीं। न्यायालय ने कहा कि Section 289 IPC के तहत अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं और कथित लापरवाही से संबंधित विवाद तथ्य के प्रश्न हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि Section 482 के तहत इन तथ्यों की गहराई से जांच नहीं की जा सकती क्योंकि यह Trial Court का कार्य है, इसलिए याचिका को खारिज कर दिया गया।

निर्णय कलकत्ता उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 289 के तहत पालतू कुत्ते के मालिक का यह कानूनी दायित्व है कि वह अपने जानवर को नियंत्रण में रखे ताकि किसी भी नागरिक को संभावित खतरा या गंभीर चोट न पहुंचे। कुत्ते को खुला छोड़ना लापरवाही का कृत्य है।

“Section 289 of the Indian Penal Code, 1860, states: “289. Negligent conduct with respect to animal — Whoever knowingly or negligently omits to take such order with any animal in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life, or any probable danger of grievous hurt from such animal, shall be punished...”

CALCUTTA HIGH COURT • 2025

स्रोत WBCHCA0539532022

09 N. Prakash v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2020-04-06 • WP(C)/9416/2020

यह मामला COVID-19 लॉकडाउन के दौरान पशु आहार (pet food) खरीदने के लिए आवाजाही की अनुमति से संबंधित है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसकी पालतू बिल्लियों को विशेष भोजन की आवश्यकता है और Prevention of Cruelty to Animals Act तथा Constitution of India के तहत पशुओं के कल्याण और उनके प्रति करुणा एक संवैधानिक कर्तव्य है। न्यायालय ने माना कि 'animal feed and fodder' आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आते हैं। न्यायालय ने याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ता को स्व-घोषणा (self-declaration) के साथ संबंधित स्थान तक यात्रा करने और आवश्यक पशु आहार खरीदने की अनुमति दी।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि पालतू जानवरों को पालने और उनकी सुरक्षा करने का नागरिकों का अधिकार उनके जीवन के अधिकार और निजता (Article 21) का एक हिस्सा है। कोविड लॉकडाउन के दौरान पशु आहार (pet food) को एक आवश्यक वस्तु मानकर उसे लाने की अनुमति दी गई।

“...every citizen has a right to enjoy his life and liberty conferred under Article 21 of the Constitution of India by having a choice of rearing pets. So much so, a citizen’s choice to rear pets is traceable to his fundamental right to privacy as recognised by the Apex Court in Puttaswamy’s case, which in turn is a facet of his right under Article 21.”

HIGH COURT OF KERALA • 2020

स्रोत KLHC010240092020

10 Prem Singh v. State of Rajasthan

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2019-07-02 • CW/5078/2007

यह मामला Trilokpura गांव में चरागाह (pasture) की भूमि को एक निजी नर्सिंग कॉलेज को आवंटित करने को चुनौती देने वाली याचिका से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह आवंटन Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 और संबंधित नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि इससे गांव के मवेशियों के लिए चराई का क्षेत्र कम हो गया है। प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि आवंटन सार्वजनिक हित में था और अन्य भूमि चरागाह के लिए उपलब्ध है। न्यायालय ने विवादित भूमि के आवंटन की प्रक्रिया और कानूनी प्रावधानों पर विचार किया। अंततः, न्यायालय ने जनहित और पर्यावरणीय सुरक्षा के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया।

निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने माना कि पशुओं के कल्याण के लिए पांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत स्वतंत्रताएं (भूख, प्यास, असुविधा, दर्द और रोग से मुक्ति) पीसीए अधिनियम की धाराओं 3 और 11 में निहित हैं और इन्हें मौलिक अधिकारों के समकक्ष समझा जाना चाहिए।

“Rights and freedoms guaranteed to the animals Under Sections 3 and 11 have to be read along with Article 51A(g)(h) of the Constitution, which is the magna carta of animal rights.”

HIGH COURT OF RAJASTHAN • 2019

स्रोत RJHC020225362007

11 Md. Balesharief v. State of Andhra Pradesh

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2014-09-26 • CRLP/11193/2014

यह मामला 29 गायों के अवैध और क्रूर परिवहन से संबंधित है, जिन्हें वध के लिए ले जाया जा रहा था। याचिकाकर्ता पर Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 और Andhra Pradesh Prohibition of Cow Slaughter Act, 1977 के तहत अपराधों का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने गायों के प्रति क्रूरता को गंभीर मानते हुए और इस प्रकार के अपराधों के लिए वधशालाओं में सख्त नियंत्रण की आवश्यकता पर बल देते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

निर्णय न्यायालय ने माना कि पशुओं की गरिमा और सुरक्षा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के विस्तृत अर्थ के अंतर्गत आती है। किसी भी पशु को अनावश्यक दर्द और पीड़ा पहुंचाना कानूनन निषिद्ध है और प्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इन वैधानिक अधिकारों की रक्षा करें।

“Animals’ well-being and welfare have been statutorily recognised under Sections 3 and 11 of the Act and the rights framed under the Act. Right to live in a healthy and clean atmosphere and right to get protection from human beings against inflicting unnecessary pain or suffering is a right guaranteed to the animals under Sections 3 and 11 of the PCA Act read with Article 51A(g) of the Constitution.”

HIGH COURT FOR STATE OF TELANGANA • 2014

स्रोत HBHC010772462014

12 M.R. Ajayan v. State of Kerala

HIGH COURT OF KERALA • 2015-11-04 • WP(C)/28255/2011

यह मामला केरल में आवारा कुत्तों (stray dogs) के खतरे और उनसे होने वाली मौतों व हमलों से संबंधित जनहित याचिकाओं (PILs) का एक समूह है। याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय अधिकारियों को सड़कों से इन कुत्तों को हटाने या नष्ट करने का निर्देश देने की मांग की थी, जबकि पशु कल्याण संगठनों ने Prevention of Cruelty to Animal Act, 1960 और Animal Birth Control (Dog) Rules, 2001 के तहत कुत्तों को मारने के बजाय नसबंदी और टीकाकरण (sterilization and vaccination) की वकालत की। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि मानव जीवन और Article 21 के तहत जीवन का अधिकार सर्वोच्च है, स्थानीय निकायों को कानून का पालन करते हुए Animal Birth Control (Dog) Rules, 2001 के अनुसार व्यवस्थित sterilization कार्यक्रम लागू करना चाहिए।

निर्णय केरल उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवारा कुत्तों के खतरे से निपटने के लिए स्थानीय निकायों को पशु जन्म नियंत्रण नियमों के तहत व्यवस्थित नसबंदी और टीकाकरण कार्यक्रम को लागू करना चाहिए, न कि उन्हें बेरहमी से मारना चाहिए।

“The PCA Act, as already indicated, was enacted to prevent the infliction of unnecessary pain, suffering or cruelty on animals. S.3 of the Act deals with duties of persons having charge of animals, which is mandatory in nature and hence confer corresponding rights on animals.”

HIGH COURT OF KERALA • 2015

स्रोत KLHC010710932011

13 SP. Chockalingam v. Principal Chief Conservator of Forests

MADRAS HIGH COURT • 2022-04-06 • WP/1830/2022

यह मामला Sathyamangalam Tiger Reserve से गुजरने वाली सड़क पर रात के समय वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध से संबंधित है। याचिकाकर्ताओं ने इस प्रतिबंध को Article 19(1)(d) और Article 19(1)(g) के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी थी, जबकि वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए इस पर जोर दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने Article 48A और Article 51A(g) के तहत पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के संवैधानिक दायित्वों पर बल देते हुए पाया कि संरक्षण के हित में उचित प्रतिबंध आवश्यक हैं। न्यायालय ने रात के समय यातायात पर प्रतिबंध के निर्णय को उचित ठहराया और अधिकारियों को इस संबंध में कड़े नियम लागू करने का निर्देश दिया।

निर्णय मद्रास उच्च न्यायालय ने माना कि पर्यावरण और पशु जीवन की रक्षा करना राज्य का संवैधानिक दायित्व है। वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए रात के समय यातायात पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय पूरी तरह से वैध और आवश्यक है।

“The right to dignity and fair treatment is, therefore, not confined to human beings alone, but to animals as well. The right, not to be beaten, kicked, overridden, overloaded is also a right recognised by Section 11 read with Section 3 of the PCA Act.”

MADRAS HIGH COURT • 2022

स्रोत HCMA010143732022

14 Compassion Unlimited Plus Action v. State of Karnataka

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2021-02-09 • CRL.P/5344/2020

यह मामला पशु क्रूरता के आरोपी व्यक्ति से जब्त किए गए कुत्तों की अंतरिम कस्टडी से संबंधित है। याचिकाकर्ता, एक NGO, ने दावा किया कि आरोपी अनधिकृत रूप से कुत्तों का प्रजनन कर रहा था और उन्हें अस्वच्छ परिस्थितियों में रखा था, जिससे वे पीड़ित थे। मजिस्ट्रेट ने कुत्तों को वापस आरोपी को

सौंपने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को रद्द कर दिया। न्यायालय ने Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 और उससे संबंधित Rules, 2017 का हवाला देते हुए कहा कि पशुओं की सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि है। निर्णय में यह स्पष्ट किया गया कि आरोपी को क्रूरता के आरोपों के दौरान पशुओं की कस्टडी नहीं दी जा सकती, और पशुओं का स्वास्थ्य और उनकी देखभाल सबसे महत्वपूर्ण है।

निर्णय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब किसी पशु के मालिक या कस्टोडियन पर उसके प्रति क्रूरता का आरोप हो, तो अंतरिम राहत के रूप में पशुओं की कस्टडी वापस उस आरोपी को नहीं सौंपी जा सकती। पशु कल्याण अधिनियम के तहत उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोपरि महत्व दिया जाना चाहिए।

“The paramount consideration of the case before this Court is in view of Rule 3 of the PCA Rules, 2017 and Section 11 of the PCA Act, this Court has to examine whether the order passed by the learned Magistrate is legally sustainable.”

HIGH COURT OF KARNATAKA • 2021

स्रोत KAHC010305932020

15 Subhas Bhattacharjee v. State of Tripura

HIGH COURT OF TRIPURA • 2019-09-27 • WP(C)(PIL)/2/2018

यह जनहित याचिका (PIL) त्रिपुरा के मंदिरों में, विशेष रूप से माता त्रिपुरसुंदरी मंदिर में, जानवरों की बलि (Bali) की प्रथा को चुनौती देती है। याचिकाकर्ता का तर्क था कि यह प्रथा हिंदू धर्म का अभिन्न अंग नहीं है और यह क्रूरता के साथ-साथ संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करती है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि यह प्रथा सदियों पुरानी है और तंत्र साधना का एक आवश्यक हिस्सा है, जिसे संविधान के Article 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। न्यायालय ने यह निर्धारित करने का प्रयास किया कि क्या यह प्रथा 'धार्मिक स्वतंत्रता' के दायरे में आती है या इसे समाज और जानवरों के प्रति मानवीय संवेदनाओं (Article 51A) को देखते हुए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए।

निर्णय त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पशुओं का जीवन भी गरिमापूर्ण अस्तित्व के अधिकार के दायरे में आता है। बिना किसी ठोस विधिक या धार्मिक आधार के अंधविश्वास या परंपरा की आड़ में पशु बलि देना उनकी गरिमा के अधिकार का हनन है।

“...so far as animals are concerned, in our view, “life” means something more than mere survival or existence or instrumental value for human-beings, but to lead a life with some intrinsic worth, honour and dignity.....”

HIGH COURT OF TRIPURA • 2019

स्रोत TRHC010006102018

16 Court on its own motion v. Deputy Commissioner, Shimla

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018-01-10 • CWPIL/152/2017

यह मामला शिमला में रिज (Ridge) पर बच्चों की सवारी के लिए इस्तेमाल होने वाले घोड़ों की दयनीय स्थिति से संबंधित था। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को सूचित किया था कि बारिश और बर्फबारी के दौरान इन घोड़ों के लिए कोई आश्रय नहीं था, जिससे उन्हें भारी कष्ट होता था। न्यायालय ने माना कि Article 21 के तहत जानवरों का भी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है और Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करना अधिकारियों और मालिकों का कर्तव्य है। नगर निगम, शिमला ने इस समस्या के समाधान के रूप में रिज के पास एक सुरक्षित स्थान की पहचान की है, जहाँ घोड़ों को खराब मौसम में रखा जा सके। न्यायालय ने इस पहल की सराहना करते हुए याचिका का निस्तारण किया।

निर्णय न्यायालय ने माना कि प्रतिकूल मौसम में जानवरों (जैसे रिज के घोड़ों) को उचित आश्रय के बिना लावारिस छोड़ना उनके प्रति गंभीर क्रूरता है। अनुच्छेद 21 का सुरक्षात्मक दायरा पशु जीवन को भी समाहित करता है और प्रशासन को उनकी उचित सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

“Neither the horse owners nor the authorities issuing the licences can adopt an attitude of indifference to this suffering, causing immense cruelty... Article 21 covers under its umbrella every species and all forms of life in the environment.”

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH • 2018

स्रोत HPHC010195472017

17 State of Chhattisgarh v. Bhaiya Lal Gond

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2023-04-28 • WA/409/2020

यह मामला आवारा कुत्तों के काटने से हुई मौतों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे से संबंधित है। उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने पीड़ितों के परिवारों को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस निर्णय को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि बिना किसी तथ्यात्मक जांच (fact-finding inquiry) और नुकसान के आकलन के मुआवजे की एक निश्चित राशि निर्धारित करना उचित नहीं है। उच्च न्यायालय ने राज्य के तर्कों से सहमति व्यक्त की और कहा कि Anupam Tripathi v. Union of India के अनुसार, मुआवजे की राशि का निर्धारण प्रत्येक मामले की परिस्थितियों, आय के नुकसान और लापरवाही की डिग्री के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल एक कंबल आदेश के रूप में। न्यायालय ने इन मामलों को वापस विचार हेतु भेजा है।

निर्णय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि आवारा कुत्ते के काटने से होने वाले नुकसान के लिए एकसमान (blanket) मुआवजा नहीं दिया जा सकता। लापरवाही की सीमा और वास्तविक नुकसान का आकलन करने के लिए एक तथ्य-अन्वेषण जांच (fact-finding inquiry) अनिवार्य है।

“...before passing the order of compensation, certain scale has to be applied to grant different compensation to different members of the Society, therefore, a blanket order of compensation cannot be sustained... Those quantum of compensation would also depend upon the degree of negligence looking to the nature of each case.”

HIGH COURT OF CHHATTISGARH • 2023

स्रोत CGHC010230662020

अ स्वीक रण

यह मेमो Vitark AI द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध निर्णयों और उपयोगकर्ता के प्रश्न के आधार पर तैयार किया गया है। यह केवल रिसर्च सहायता के लिए है और कानूनी सलाह (legal advice) नहीं है। किसी भी filing, opinion, या correspondence में उपयोग करने से पहले सभी case citations, holdings और quotations को मूल निर्णय (source judgment) के विरुद्ध स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।